FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

मांगीलाल पि. भुरा तेली हरिपुरा देवरिया उनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

बनाम

किस्म मुकदमा धारा 251 R.T.A 1955 मु0न0 01/2021/1 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
8/1/21	प्रार्थी मांगीलाल पि. भुरा तेली निवासी हरिपुरा देवरिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा की सीमा में आ.न. 41 मे आने जाने हेतु आ.न. 38, व 39 मे होकर आता जाता जिसमे से आ.न. 38 मे खातेदार द्वारा रास्ते की भूमि को समर्पित करने से ख.न. 246/38 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है व आराजी न. 39 जो राजस्व रेकार्ड सिवायचक दर्ज है जिसमें से रास्ता हेतु आदेश करने पर तहसीलदार रायपुर के द्वारा बाद जांच ख.न. 39 मे रकबा 0.25 है भूमि मे से 0.01 है भूमि को रास्ते में दर्ज करने की अभिशंषा कर रास्ते [illegible] पत्रावली श्रीमान के मय टिप्पणी भिजवाई गयी जिसमें अभी तक आदेश पारित नही हुआ है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर [illegible] रिपोर्ट [illegible] 14-1-21 [illegible] के साथ पत्रावली [illegible] हो। (हस्ताक्षर)	
14-1-21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पत्रांक राजस्व/ [illegible] दिनांक 6/7/2017 अभिलेखागार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.22 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... इस हुक्म ... तामिल में
	प्र०सं० 1/2021 (2021/1)	
	जिसका अवलोकन किया। तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिपोर्ट में टीप अंकित किया कि प्रार्थी कि नहरखातेदारी भूमि ग्राम गोविन्दपुरा की आ न 4 रकबा .../ में आने जाने हेतु आ न 39 रकबा 0.25 है में से 0.01 है भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है। मौके पर भूमि पर रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रस्तावित भूमि को रास्ते में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी। एवम भूमि की कीमत 4336/- जरिये चालान 20 दि 3/7/2017 राशि राज्य कोष में जमा करा दी गयी/ चालान प्रति साथ संलग्न है। उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी अपनी नहरखातेदारी भूमि में जाने हेतु ग्राम गोविन्दपुरा की बिलानाम आ न 39 में रास्ता चाहा है। रास्ते की भूमि कीमत राज्य कोष में जमा करा दी है। ऐसी स्थिति में [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A में स्वीकार [illegible] है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के नहरखातेदारी भूमि 4 रकबा ... वाकेय ग्राम गोविन्दपुरा में आवागमन हेतु ग्राम गोविन्दपुरा की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.22 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

प्र०स० 1/2021 (2021/1)

बिलानाम खा.नं. 39 रकबा 0.25 है. में से 0.01
है. भूमि रास्ते हेतु दी जाती है। उक्त भूमि की
भूमि कीमत 4336/- राजकोष में जमा होने
से रास्ते की भूमि को बिलानाम गैर मुमकिन
दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार
रायपुर को इत्तलानामा जारी होकर पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
15.01.2020
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.22 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—01 / 2021 (2021 / 1) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मांगीलाल पिता भुरा तेली निवासी हरिपुरा (देवरिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 41 में आवागमन हेतु विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 39 रकबा 0.25 हैक्टयर में से 100 वर्गगीटर यानि 0.0100 हैक्टयर भूमि जिसकी डीएलसी दर के अनुसार 2168 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने 4336 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जरिये चालान संख्या 20 दिनांक 03.07.2017 को 4336 रूपये राजकोष में जमा करा दी गई है अतः प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

15.01.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.22 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested